

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:-2(7)चिरस्वा / 2 / 2016

जयपुर, दिनांक: ०२/८/२०१९

—आदेश:—

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के आदेश क्रमांक: एफ-स्पेशल-1/08/पार्ट-2/5203 दिनांक 01.08.17 के द्वारा डॉ. अमिता कश्यप, वरिष्ठ आचार्य (पीएसएम) सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर को निदेशक (सीफू) के पद पर 02 वर्ष के लिए चयनित कर नियुक्त किया गया था।

डॉ. कश्यप का कार्यकाल पूर्ण होने की स्थिति में डॉ. कश्यप को उनके मूल विभाग के लिए दिनांक 03.08.19 को कार्यमुक्त किया जाता है।

डॉ. रवि प्रकाश शर्मा, अतिरिक्त निदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य) मुख्यालय को निदेशक (सीफू) के पद का अतिरिक्त कार्यभार आगामी आदेशों तक दिये जाने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

८/८
(संजय कुमार)
शासन उप सचिव
८/८.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. निजी सचिव, सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. रजिस्ट्रार, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर।
5. डॉ. अमिता कश्यप, वरिष्ठ आचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
6. डॉ. रवि प्रकाश शर्मा, अतिरिक्त निदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य) मुख्यालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर।

६०८/५०२/४/१९
(नवल बिहारी ढलवाल)
शासन सहायक सचिव
८/८.